भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3981

(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कर्नाटक में सीएसआर के अंतर्गत परियोजनाएँ

3981. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान कर्नाटक में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलापों के लिए कंपनियों द्वारा क्षेत्रवार और ज़िलावार, विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ ज़िले में, आवंटित कुल निधि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ज़िलों में सीएसआर निधियों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिण कन्नड़ ज़िले में कार्यरत कंपनियों की अप्रयुक्त सीएसआर निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सीएसआर के अंतर्गत व्यय दक्षिण कन्नड़ ज़िले की स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दक्षिण कन्नड़ में जलवायु परिवर्तन के शमन और तटीय अवसंरचना की सुनम्यता से संबंधित सीएसआर द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(च) दक्षिण कन्नड़ में अपने सीएसआर दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है और उसके बाद उक्त कंपनियों पर लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक के विकास क्षेत्र-वार, जिलावार और दक्षिण कन्नड़ जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I, अनुलग्नक- II और अनुलग्नक- III में संलग्न हैं।

जारी...2/-

(ख) से (घ): सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपे गए कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर व्यय की गई है। यदि कोई राशि व्यय नहीं की जाती है तो ऐसी राशि निर्धारित समय सीमा में अनुसूची VII में नामित निधि (निधिओं) में अंतरित की जाएगी। सीएसआर ढांचे के तहत, कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र प्राथमिकताओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। सरकार कंपनियों को किसी क्षेत्र विशेष अथवा कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(ङ): मंत्रालय द्वारा परियोजना-वार सीएसआर व्यय का विशेष रूप से ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(च): अभिलेखों की जांच और/अथवा कंपनियों एवं चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान, दक्षिण कन्नड़ जिले में पंजीकृत एक कंपनी मुक्का प्रोटीन लिमिटेड सीएसआर दायित्व को पूरा करने में विफल रही और 2023 में 2,57,000/- रुपये (दो लाख सत्तावन हजार रुपये केवल) शास्ति लगायी गयी।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 18.08.2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के भाग (क) से संदर्भित वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक कर्नाटक में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	0.25	0.13	2.82	1.88	2.67
2.	पशु कल्याण	7.82	7.25	7.95	14.68	19.29
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं / आश्रित	1.14	1.23	0.50	0.90	1.70
4.	कला और संस्कृति	12.10	28.68	29.46	46.83	40.11
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	4.98	2.02	19.76	103.29	26.71
6.	शिक्षा	623.62	398.77	613.28	1,008.58	974.07
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	182.90	142.38	337.23	192.95	358.22
8.	लैंगिक समानता	1.16	3.84	5.77	2.70	9.73
9.	स्वास्थ्य देखभाल	234.96	318.54	503.12	284.51	319.59
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	37.32	69.42	30.91	52.31	65.30
11.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	57.96	83.77	56.23	91.28	78.91
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	62.05	56.07	53.91	46.96	62.53
13.	सुरक्षित पेयजल	13.00	8.29	9.61	10.12	14.46
14.	स्वच्छता	69.40	10.38	5.18	10.51	14.62
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	10.70	3.22	4.04	9.89	12.23
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	3.79	15.48	4.16	2.36	6.57
17.	अनाथालय की स्थापना	1.26	2.16	2.84	2.40	2.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	4.34	0.98	0.62	1.92	4.54
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	9.71	4.71	5.51	8.03	9.34
20.	विशेष शिक्षा	20.19	51.60	17.60	32.61	37.10
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	3.78	4.38	0.20	0.67	0.03
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	13.04	26.87	27.38	44.67	64.71
23.	व्यावसायिक कौशल	54.01	25.62	101.38	59.95	85.82
24.	महिला सशक्तिकरण	17.45	12.04	10.32	28.73	24.60
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	1.23	-	0.05	-	19.50
कुल		**1,448.16**	**1,277.81**	**1,849.82**	**2,058.73**	**2,254.88**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 18.08.2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के भाग (क) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के लिए कर्नाटक में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिले	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	बागलकोट	2.92	0.64	5.64	4.92	17.32
2.	बल्लारी	13.59	14.87	28.80	189.65	71.18
3.	बेलगावी	8.72	8.09	16.73	19.36	22.38
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	17.15	20.05	120.68	169.25	149.70
5.	बेंगलुरु दक्षिण (रामनगर)	20.55	33.90	4.05	0.14	0.23
6.	बेंगलुरु शहरी	30.46	77.41	1,074.13	7.37	2.98
7.	बीदर	0.32	0.69	2.28	6.56	12.99
8.	चामराजनगर	0.76	2.61	4.14	9.61	8.42
9.	चिक्काबल्लापुरा	3.89	12.24	1.70	0.36	0.13
10.	चिक्कमगलुरु	3.04	1.76	7.68	11.32	20.58
11.	चित्रदुर्ग	3.90	10.24	11.43	5.55	7.56
12.	दक्षिण कन्नड़	82.53	44.67	33.45	39.17	50.64
13.	दावणगेरे	1.66	1.46	4.21	4.42	14.51
14.	धारवाड़	26.19	27.03	41.46	20.71	38.84
15.	गडग	0.79	2.19	1.48	4.65	4.15
16.	हासन	1.24	1.47	4.95	2.39	8.28
17.	हावेरी	1.34	0.91	8.60	11.26	7.48
18.	कलबुर्गी	0.12	2.25	18.96	16.78	18.67
19.	कोडागु	2.10	3.75	20.67	8.66	5.74
20.	कोलार	17.54	11.35	14.16	26.65	51.99
21.	कोप्पल	0.47	2.01	4.56	5.30	10.76
22.	मांड्या	0.48	2.22	6.67	6.30	5.59
23.	मैसूर	27.18	20.51	50.53	49.98	155.96
24.	रायचूर	4.51	4.51	18.04	10.32	21.89
25.	शिवमोग्गा	7.27	8.45	6.83	4.76	9.40
26.	तुमकुरु	8.76	3.96	16.49	18.15	28.89
27.	उडुपी	17.59	4.60	20.27	24.12	26.72
28.	उत्तर कन्नड़	4.84	5.07	11.47	11.19	19.39
29.	विजयनगर	0.50	-	-	1.30	0.62
30.	विजयपुरा	0.20	1.26	1.12	5.05	3.21
31.	यादगीर	1.58	0.97	2.83	-	-
32.	जिला वर्गीकृत नहीं	1,135.95	946.65	285.83	1,363.49	1,458.70
कुल		**1,448.16**	**1,277.81**	**1,849.82**	**2,058.73**	**2,254.88**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

*****

अनुलग्नक- III

दिनांक 18.08.2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के भाग (क) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	पशु कल्याण	3.98		0.09	0.14	0.41
2.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, आश्रित	-	0.03	0.22	-	-
3.	कला और संस्कृति	0.40	1.25	0.76	1.07	0.27
4.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.11	-	0.04		0.12
5.	शिक्षा	29.50	18.86	18.05	23.28	28.13
6.	पर्यावरणीय स्थिरता	1.09	0.26	0.54	2.17	0.49
7.	लैंगिक समानता		0.05		0.04	0.13
8.	स्वास्थ्य देखभाल	17.13	2.42	5.14	4.13	8.03
9.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	0.02	7.82	3.15	0.13	0.25
10.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	1.21	4.12	0.94	0.81	4.14
11.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	8.19	5.14	2.28	1.67	4.37
12.	सुरक्षित पेयजल	1.89	0.67	0.11	0.71	0.11
13.	स्वच्छता	11.56	1.12	0.29	0.39	0.66
14.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.05	0.11		0.15	0.58
15.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	3.40	1.07	0.93	1.05	-
16.	अनाथालय की स्थापना	0.30	0.01	0.04	0.02	0.26
17.	स्लम क्षेत्र विकास	-	0.04	-	-	0.31
18.	सामाजिक-आर्थिक समानता	1.98	0.69	0.26	0.03	0.12
19.	विशेष शिक्षा	0.02	0.15	0.06	0.36	0.33
20.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0.01	0.02	0.00	0.15	0.47
21.	व्यावसायिक कौशल	0.58	0.77	0.41	1.19	0.84
22.	महिला सशक्तिकरण	0.11	0.07	0.13	1.65	0.46
23.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	-	-	0.17
कुल		**82.53**	**44.67**	**33.45**	**39.17**	**50.64**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं

*****